विषय :– केसों को मुख्य सचिव की राय के लिए भेजने का ढंग ।

क्या हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार के अशांसकीय परिपत्र क्रमांक: 4730-जी-1-59, दिनांक 5.8.1959 (जिसकी एक प्रतिसंलग्न है), उपरोक्त विषय पर, की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. यह देखने में आया है कि सरकार के उन अनुदेशों की पालना ठीक ढ़ग से नहीं हो रही अतः फाइलों को बार–बार वापिस करना पड़ता है । यह भी देखा गया है कि जिन-जिन परिपत्तों तथा नियमों का हवाला दिया जाता है उनकी प्रतियां भी नहीं लगाई जाती और सामान्य सेवाएं शाखा के कर्मचारियों को प्रशासनिक शाखाओं से व्यक्तिगत तौर पर जाकर प्रतियां लानी पड़ती हैं । इन सब बातों के कारण केसों में निर्णय लेने में कठिनाई के साथ-साथ देरी भी हो जाती है स लिए अनुरोध किया जाता है कि आगे से केस भेजते समय निम्नलिखित बातों का खास ध्यान रखा जाए :–

(1) हवाला के तौर पर दिए गए पत्र तथा नियमों की प्रतियां जरुर लायी जाएं ।

(2) विशेष विषय जिन में मुख्य सचिव की राय चाहिए स्पष्ट रुप से लिखी जाए; तथा

(3) केस भेजते समय अपने नोट की दो प्रति भेजी जाएं बाकी बातों जिनके उल्लेख संलग्न अशाः परिपत्र में किया गया है, की पालना में स्थिति ज्यों कि त्यों बनी रहेगी ।

हस्ता/-
अवर सचिव, राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशासकीय क्रमांकः 4890-2 जीः एस-I-70, दिनांक चण्डीगढ़ अप्रैल, 1970

एक प्रति सूचनार्थ तथा उचित कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।
(2) वित्तायुक्त गृह, हरियाणा ।

हस्ता/–
अवर सचिव, राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।

(2) वित्तायुक्त गृह, हरियाणा ।

अशा0 क्रमांक 4890-2 जी0 एस-I-70, दिनांक चण्डीगढ़ अप्रैल, 1970